प्रारूप-21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा- 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 40-लौकहा की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन का नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्वं अधिनियम, 1951 की धारा-66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में,

मैं घोषणा करता हूँ कि - श्री सतीश कुमार साह, ग्राम- मटही, डाकघर- लौकही (बरूआर), थाना - अंधरामठ, जिला- मधुबनी जो जनता दल (यूनाइटेड) द्वारा खड़े किये गये हैं।

उस सदन में श्री हिर प्रसाद साह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्युक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : आर0के0 कॉलेज, मधुबनी

तारीख : 04/12/2011



FORM - 21- D

[See Rule- 64]

(For use in the Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of election under section- 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Bihar from 40-Laukaha Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section- 66 of the Representation of the People Act- 1951, read with Rule – 64 of the Conduct of the Elections Rules, 1961, I declare that -

Shri Satish Kumar Sah (Name) Village - Mathi, Post - Laukahi (Baruar), Police Station - Andhramath, District - Madhubani (Address) Sponsored by Janata Dal (United) (Name of the recognised/ registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Hari Prasad Sah having been declared vacant.

Place:- R.K.College, Madhubani,

Date:-04/12/2011

Signature Cim Sully II
Returning Officer.

40- Laukaha (A:C)

tamp:-